REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082023-247923 CG-DL-E-08082023-247923

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 465] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2023/श्रावण 17, 1945 No. 465] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2023/SHRAVANA 17, 1945

संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 594(अ.).—केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 10, धारा 12 और धारा 15 के साथ पठित धारा 7 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार मार्ग के अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

 भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"9 क. अस्थायी भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना - (1) किसी भी कारण से मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में लाइसेंसधारी, जिसकी मौजूदा भूमिगत तार अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो गई है तो वह समुचित प्राधिकारी को अवसंरचना के नुकसान की रिपोर्ट करने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के लिए तार सेवा को बहाल करने हेतु क्षतिग्रस्त भूमिगत तार अवसंरचना के बदले भूमि के ऊपर अस्थायी रूप से तार अवसंरचना की स्थापना करेगा।

(2) इस नियम के अधीन अस्थायी रूप से भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा कोई फीस या प्रतिकर नहीं लिया जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 10 के, उप-नियम (5) में,-

(क) शब्द और अंक "नियम 10ख" के स्थान पर शब्द और अंक "नियम 10क और नियम 10ख" रखे जाएंगे;

(ख) खंड(ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

'(घ) "मार्ग फर्नीचर" से विद्युत, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट, यातायात संकेत, बस स्टॉप, ट्राम स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, स्मारक, सार्वजनिक मूर्तिकला, यूटिलिटी पोल या किसी अन्य संरचना या किसी समुचित प्राधिकरण की संपत्ति पर स्थापित ऐसी प्रकृति के मशीन के लिए प्रयुक्त पोस्ट अथवा खंभा अभिप्रेत है।'

4. उक्त नियमों के नियम 10क में,-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(1क) लाइसेंसधारक के पास कई स्थलों के लिए एकल आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प होगा और समुचित प्राधिकारी ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने और स्मॉल सेलों की स्थापना हेतु तदनुसार कई स्थलों के लिए एकल अनुमति जारी करने के लिए उचित उपबंध करेगा।"

(ख) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण स्मॉल सेलों की स्थापना की अनुमति देंगे और अनुसूची के भाग-l या भाग-lll के अनुसार अपने नियंत्रण में निहित या उनके अधीन भवनों और संरचनाओं पर स्मॉल सेलों की स्थापना के लिए कोई प्रशासनिक फीस या प्रतिकर नहीं लेंगे:

परंतु कि ये प्रभार वास्तविक आंकड़े के अनुसार भवन स्वामियों द्वारा प्रदान की गई बिजली (उद्योग टैरिफ के अनुसार), फिक्स्चर आदि के लिए लगाए जाएंगे और लाइसेंसधारी स्मॉल सेल की तैनाती के दौरान हुए नुकसान को बहाल करेगा।"

5. उक्त नियमों की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

"अनुसूची

[नियम 5(3), 6(1ख), 6(2)(क), 6(3), 9(3), 9क(2), 10(2), 10(3)(क), 10क(2), 10क(4), 10क(5)]

नियम	मद	राशि
(1)	(2)	(3)
	भाग	-1
	शुल्	क
5(3)	भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना के लिए	एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर
9(3)	भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना के	(i) मोबाइल टावर लगाने के लिए दस हजार रुपये
	लिए	(ii) भूमि के ऊपर तार लाइन की स्थापना के लिए एक
		हजार रुपये प्रति किलोमीटर।
		(iii) खंभों की स्थापना के लिए, स्मॉल सेल और तार लाइन
		की स्थापना के लिए, अचल संपत्ति पर निहित या
		उपयुक्त केंद्रीय प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन के
		लिए शून्य।

-
\mathbf{a}
~

9 क (2) 10 क (2)	भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की अस्थायी स्थापना मार्ग फर्नीचर का उपयोग करते हुए स्मॉल सेल और तार लाइन की स्थापना के लिए	 (iv) खंभों की स्थापना के लिए, स्मॉल सेल और तार लाइन की स्थापना के लिए, अचल संपत्ति पर निहित या समुचित केंद्रीय प्राधिकरण समुचित के अलावा समुचित प्राधिकरण के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए प्रति पोल एक हजार रुपये। शून्य।
10 क (5)	समुचित केंद्रीय प्राधिकरण के निहित या अधीन भवनों अथवा संरचनाओं पर स्मॉल सेलों की तैनाती के लिए	शून्य।
	भाग-॥ बहाली	
6(2)(क)	लाइसेंसधारक द्वारा क्षति को बहाल करने की दायित्वों का निर्वहन करने का वचन नहीं देने पर भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना।	यदि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उस क्षेत्र के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई हो तो अचल संपत्ति को उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अचल संपत्ति को पुनर्स्थापित करने के लिए अपेक्षित राशि।
6(3)	लाइसेंसधारी द्वारा क्षतिपूर्ति को बहाल करने की दायित्व निर्वहन का वचन दिया है वहाँ भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना के मामले में निष्पादन हेतु सुरक्षा के रूप में बैंक गारंटी।	अचल संपत्ति को उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक राशि का 20 प्रतिशत यदि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उस क्षेत्र के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई हो।
10 (3)(雨)	भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना	अचल संपत्ति को उस क्षेत्र के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार या उस क्षेत्र के लिए राज्य सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उस क्षेत्र के लिए कोई दर निर्धारित नहीं की गई हो, इसके अलावा लाइसेंसधारक स्मॉल सेल और तार लाइनों की स्थापना के लिए खंभों को स्थापित करने के मामले में हुई क्षति की भरपाई करेगा।
	भाग-III	प्रतिकर
6(1ख)	भूमिगत तार अवसंरचना की स्थापना	शून्य।
9 क(2)	अस्थायी भूमि के ऊपर तार अवसंरचना की स्थापना	शून्य।
10(2)	भूमि के ऊपर अवसंरचना की स्थापना	यदि ऐसी संपत्ति का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता है तो उपयुक्त प्राधिकरण के सामान्य आदेश द्वारा दर निर्दिष्ट कर सकता है। तथापि स्मॉल सेल और तार लाइनों की स्थापना हेतु खंभों की स्थापना के लिए प्रतिकर शून्य होगा।

10 क (4)	स्मॉल सेल और तार लाइन की स्थापना के	i) स्मॉल सेल की स्थापना के लिए: मार्ग फर्नीचर के
	लिए मार्ग फर्नीचर का उपयोग	अनुसार शहरी क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष तीन सौ रुपये और
		ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष एक सौ पचास रुपये।
		(ii) तार लाइन की स्थापना के लिए: प्रति मार्ग फर्नीचर के
		अनुसार एक सौ रुपये प्रति वर्ष।
10 क (5)	समुचित केंद्रीय प्राधिकारियों में निहित या	शून्य"।
	उनके नियंत्रण में भवन अथवा संरचनाओं	
	पर स्मॉल सेलों की तैनाती के लिए	

[फा. सं. 2-6/2023-नीति]

सुनील कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सा.का.नि. 1070 (अ.) तारीख 15 नवंबर, 2016 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात सा.का.नि. 407 (अ.) तारीख 21 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. 749 (अ.) तारीख 21 अक्टूबर, 2021 और सा.का.नि. 635 (अ.) तारीख 17 अगस्त, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2023

G.S.R. 594(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (e) of sub-section (2) of section 7 read with sections 10, 12 and 15 of the Indian Telegraph Act, 1885(13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016, namely: -

- 1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Right of Way Rules, 2016 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 9, the following rule shall be inserted, namely: -

"9A. Establishment of temporary overground telegraph infrastructure. -(1) In case of damage of any existing underground telegraph infrastructure for any reason, the licensee, whose existing underground telegraph infrastructure is damaged, may temporarily establish the overground telegraph infrastructure, in lieu of the damaged underground telegraph infrastructure, to restore the telegraph service for the period of sixty days from the date of reporting of damage of the infrastructure to the appropriate authority.

(2) No fee or compensation shall be charged by the appropriate authority for the establishment of temporary overground telegraph infrastructure under this rule".

- 3. In rule 10 of the said rules, in sub-rule (5),–
 - (a) for the word and figure "rule 10B", the words and figures, "rule 10A and rule 10B", shall be substituted;
 - (b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: -

'(d) "street furniture" means post or pole used for electricity, street light, traffic light, traffic sign, bus stop, tram stop, taxi stand, public lavatory, memorial, public sculpture, utility pole or any other structure or contrivance of such nature established over the property of an appropriate authority.'.

4. In rule 10A of the said rules,–

(a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely: –

"(1A) The licensee shall have the option of submitting single application for multiple sites and appropriate authority shall make due provisions for accepting such applications and issuing single permission for multiple sites accordingly for establishment of small cells."

(b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(5) The appropriate central authorities shall permit deployment of small cells and shall charge no administrative fees or compensation for deployment of small cells on buildings and structures vested in or under their control as per Part-II of the Schedule:

Provided that the charges shall be levied for power (as per Industry tariffs), fixtures etc. provided by building owners as per actuals and licensee shall restore the damage done during deployment of small cells".

5. For the Schedule of the said rules, the following schedule shall be substituted, namely:-

"THE SCHEDULE

[See rules 5 (3), 6 (1B), 6 (2) (a), 6 (3), 9 (3), 9 A (2), 10 (2), 10 (3) (a), 10A (2), 10A (4), 10 A (5)]

Rule	Item	Amount
(1)	(2)	(3)
	Part-I	Fee
5(3)	For establishment of underground telegraph infrastructure	One thousand rupees per kilometer.
9(3)	For establishment of overground telegraph infrastructure	 (i) Ten thousand rupees for establishment of mobile towers (ii) One thousand rupees per kilometre for establishment of overground telegraph line. (iii) Nil for establishment of poles, for installation of small cells and telegraph line, on the immovable property vested in, or under control or management of appropriate central authority (iv) One thousand rupees per pole for establishment of poles, for installation of small cells and telegraph line, on the immovable property vested in, or under control or management of poles, for installation of small cells and telegraph line, on the immovable property vested in, or under control or under control or management of appropriate authority, other than appropriate central authority.
9 A (2)	For Establishment of temporary over ground Telegraph Infrastructure.	Nil.
10A (2)	For installation of small cells and telegraph line using the street furniture	Nil.
10 A (5)	For the deployment of small cells on building or structures vested in or under the control of appropriate central authorities.	Nil.
	Part-II Charges	for restoration
6(2)(a)	Establishment of underground telegraph infrastructure where undertaking is not given by the licensee to discharge the responsibility to restore the damages	Sum required to restore immovable property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area, if no rate has been prescribed by central public works department for that area.
6(3)	Bank guarantee as security for performance in case of establishment of underground telegraph infrastructure where undertaking is given by the	20 percent of the sum required to restore immovable property as per the rate prescribed by central public works department for that area or as per the rate prescribed by state public works department for that area,

	licensee to discharge the responsibility	if no rate has been prescribed by central public works
	to restore the damages	department for that area.
10(3)(a)	Establishment of overground telegraph	Sum required to restore immovable property as per the
10(0)(u)	infrastructure	rate prescribed by central public works department for
	minustructure	that area or as per the rate prescribed by state public
		works department for that area, if no rate has been
		prescribed by central public works department for that
		area, further, licensee shall restore the damage incurred in
		case of establishment of poles for installation of Small
		Cells and telegraph line.
	Part-III Con	
6(1 D)		Nil.
6(1B)	Establishment of underground telegraph infrastructure	1811.
0.4(2)		XT'1
9 A(2)	For Establishment of temporary over	Nil.
	ground Telegraph Infrastructure.	
10(2)	Establishment of Over Ground	Rates as the appropriate authority may, by general order,
	Infrastructure	specify, if such property cannot be used for any other
		purpose.
		However, for establishment of poles for installation of
		small cells and telegraph line, compensation shall be Nil.
10A (4)	Usage of street furniture for installation of	(i) For installation of small cells: Three hundred rupees
	small cells and telegraph line	per annum for urban area and one hundred and fifty
		rupees per annum for rural areas per street furniture.
		(ii) For installation of telegraph line: One hundred
		rupees per annum per street furniture.
10 A (5)	For the deployment of small cells on	Nil".
	building or structures vested in or under	
	the control of appropriate central	
	authorities.	

[F. No. 2-6/2023-Policy]

SUNIL KUMAR VERMA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification G.S.R. 1070 (E), dated the 15thNovember, 2016 and subsequently amended *vide* G.S.R. 407 (E), dated the 21stApril, 2017, G.S.R. 749 (E), dated the 21st October, 2021 and G.S.R. 635(E), dated the 17th August, 2022.